क्रमांक 4741-4 जी0 एस0-II-71/26789

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. समस्त विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट तथा समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ 13 सितम्बर, 1971

विषय :--भूतपूर्व आपात काल कमीशण्ड अधिकारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों (जो आपातकाल में सेना में भर्ती हुए) को पुन स्थापित करना--अस्थाई पदों का आरक्षत तथा स्थाई पदों में आरक्षण का बढ़ाना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5948-6 जी एस0-67/6942, दिनांक 25-3-1968 की ओर दिलाऊं । इन अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व आपातकाल कमीशण्ड अधिकारि तथा सैनिकों के लिए पदों में आरक्षण निम्न प्रकार किया जाता है :—

1- 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के लिए इंजीनियरिंग तथा मैडिकल सेवाओं में

तथा

2- 30 प्रतिशत अन्य सेवाओं में (एच0 सी0 एस0 के अतिरिक्त) ।

हाल ही में एक न्यायिक केस में यह निर्णय किया गया है कि विधान के अनुसार सभी वर्गों के व्यक्तियों लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती । चूंकि 20 प्रतिशत रिक्तियां पहले अनुसूचित तथा 2 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल आरक्षण 28 प्रतिशत से अधि नहीं होना चाहिए । इसलिए (एच0 सी0 एस0) जहां पहले ही आरक्षण 28 प्रतिशत से कम है के अतिरिक्त सभी सेवा में भूतपूर्व आपातकाल कमीशण्ड अधिकारियों तथा सैनिकों के लिए आरक्षण के वर्तमान प्रतिशत को घटाकर 28 प्रतिशत क का निर्णय किया गया है ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार